कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) उदयपुर

क्रमांक :– एफ 37(2)लेखा / बोली आमंत्रण / निर्वाचन / 2020 / 1101 दिनांक :28.10.2020

–:: खुली बोली आमंत्रण सूचना संख्या 17/2020-21::–

इस कार्यालय अन्तर्गत पंचायत राज संस्थाओं एवं अन्य विभिन्न निर्वाचनों हेतु की जाने वाली व्यवस्थाओं /आवश्यक सामग्री क्रय करने के लिये प्रतिष्ठित एवं संस्थापित फर्मो से मुहरबन्द बोली आमंत्रित की जाती है।

क्र. स.	व्यवस्था / सामग्री विवरण	अनुमानित लागत (लाखों में)	बोली प्रतिभूति राशि (रुपयों में)	बोली प्रपत्र शुल्क (रुपयों में)	बोली प्रपत्र बेचने की अंतिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथिव समय	बोली खोलने की तिथि व समय
1	वोटिंग कम्पार्टमेन्ट की आपूर्ति	2.50	2500	200	03.11.2020 5:00 PM	04.11.2020 1:00 PM	04.11.2020 3:00 PM
2	फोटो कॉपी, स्पाईरल बाइण्डिंग, स्टोरेज डिवाईस से प्रिन्ट निकालने संबंधी कार्य	8.00	8000	200			

बोली प्रपत्र एवं शर्ते निर्धारित शुल्क नकद / डी. डी. / बैकर्स चेक जो जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) उदयपुर के नाम से जारी हो, जमा करवाकर जिला निर्वाचन कार्यालय से कार्यालय समय मे दिनांक 28.10.2020 से प्राप्त की जा सकती है या राज्य लोक उपापन पोर्टल **http://sppp.rajasthan.gov.in**अथवा वेबसाईट **http://udaipur.rajasthan.gov.in** से भी डाउनलोड किये जा सकते है। डाउनलोड किए गए बिड प्रपत्र का निर्धारित शुल्क रू. 200/– का ड्राफ्ट बिड दाता द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), उदयपुर के नाम से तकनीकी बिड के लिफाफे में संलग्न करना होगा। **बिड निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी।** बिड प्रपत्र का शुल्क किसी भी स्थिति में नहीं लौटाया जाएगा। बोली के साथ बोली प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा बोली पर कोई विचार नहीं किया जायेगा, प्राप्त बोली निर्धारित कमेटी द्वारा उपस्थित बोलीदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी।
बोली स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

बिड की शर्ते:–

1. सफल बोलीदाता को निर्देशों मे अंकित समय अनुसार 500/– रू. के नोन ज्युडिशियिल स्टाम्प पर करार पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगें।
2. बिड के साथ में बोली प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/नकद जमा की रसीद, जीएसटीआईएन पंजीयन प्रमाण पत्र तथा आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर की बिडदाता द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।
3. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त बिड स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. उपापन संस्था न्यूनतम दर वाली बिड को स्वीकार किए जाने के लिए बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी बिड को या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताए रद्द कर सकेगी।
5. उपरोक्त सामग्री की मात्रा अनुमानित हैं जिसमें कमी अथवा बढोतरी की जा सकती हैं। उपापन संस्था उक्त अंकित किसी भी सामग्री की न्यूनतम मात्रा अथवा कोई सामग्री क्रय करने के लिये बाध्य नहीं हैं।
6. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहाँ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम एवं प्रारूप एसआर 14, 15, 16 व 17 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 के प्रावधान व समय समय पर किए गए संशोधन भी उक्त बिड पर लागू होंगें।
7. बोली में प्राप्त अनुमोदित दरें एक वर्ष के लिये लागु रहेगी व आवश्यक होने पर आपसी सहमती से नियमों में उपलब्ध प्रावधानों अनुसार बढायी जा सकेगी।

(चेतन देवड़ा)
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) उदयपुर

प्रतिलिपि :–

1- श्रीमान् मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज. जयपुर।
2- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी राजस्थान।
3- सदस्य क्रय समिति ....।
4- नोडल अधिकारी लोक उपापन उदयपुर (उपनिदेशक जिला ई–गर्वनेन्स प्रकोष्ठ, उदयपुर) को दो प्रतियों में भेज कर लेख है कि उक्त सूचना को आज ही **http://udaipur.rajasthan.gov.in** वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही करें तथा अपलोड की कार्यवाही अंकित कर एक प्रति पुनः इस कार्यालय को भिजवाऐं।
5- समस्त उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार कार्यालय नोटिस बोर्ड।
6- नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(चेतन देवड़ा)
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) उदयपुर